न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–82/2018

Sl No date of order of proceeding	Order with Signature of the Court	Office Action taken with date
4.11.19	**आदेश** अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज– प्रथम पक्ष **बनाम** मो0 शौकत खाँ, पे0–इब्राहिम खाँ– द्वितीय पक्ष मौजा–दीनदयाल, टोला–हथिया अंचल–ई0 अलीगंज, जिला–जमुई। **अभिलेख उपस्थापित।** प्रश्नगत मामले में अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के पत्रांक–238/दिनांक–09.06.2018 जो मौजा–दीननगर, टोला–हथिया, खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.62 एकड़ भूमि की जमाबंदी संख्या–141 को रद्द करने के अनुशंसा से संबंधित है, के आलोक में बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के तहत जमाबंदी रद्दीकरण वाद दायर कर विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की सुनवाई की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता अनेको तारीखों में सुनवाई पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे तथा विपक्षी अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–04.10.2018 को अपना पक्ष रखते हुए जबाव दाखिल किया गया। **अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज का पक्ष :–** अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक–238, दिनांक–09.06.2018 में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–दीननगर, टोला–हथिया के ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज को आवेदन देकर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण करने की बात कही है, जिसकी जाँच अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व कर्मचारी से कराई गई जिसमें प्रतिवेदित है कि संदिग्ध खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.62 एकड़, किस्म–गैरमजरूआ ईजारेदार सर्वे खतियान में दर्ज है। भूमि रजिस्टर II के जमाबंदी संख्या–141 पर अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम से संबंधित है, जिस पर कुछ लाभुको को वासगीत पर्चा भी मिला है। उक्त जमीन संबंधित व्यक्ति को किस माध्यम से हासिल हुई, उनका पक्ष जानने के लिए जमाबंदी रैयत के वंशजों को सूचना दी गई। जमाबंदी रैयत के वंशजों में से उनके पौत्र शौकत खाँ, पे0–इब्राहिम खाँ उपस्थित हुए, जिनके द्वारा बताया गया कि उस जमीन पर स्थित पोखर पर मेरे पूर्वजों द्वारा मछली उत्पादन होता था एवं मुझे पता है कि यह मेरी जमीन है लेकिन संबंधित जमीन के संबंध में कागजात की मांग करने पर उनके द्वारा समय की मांग की गई। कागजात जमा करने हेतु जमाबंदी रैयत के वंशजों को पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद भी वे एक कागजात प्रस्तुत किया, जो अस्पष्ट है। अतः उक्त जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होती है लेकिन उक्त जमाबंदी से ही कई महादलित परिवार को वासगीत पर्चा मिलने से संबंधित जमाबंदी में से रकवा घटकर 3.39 $\frac{1}{2}$ एकड़ हो गया है। यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में भी है जो कि अतिक्रमण से संबंधित बताया गया है। साथ ही अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ वर्णित भूमि से संबंधित रजिस्टर II की छाया–प्रति, जमाबंदी रैयत के वारिसानों द्वारा जमा की गई कागजात एवं राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन भी संलग्न की गई है।	

राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि मौजा–दीननगर, टोला–हथिया, थाना नं0–28, खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, कुल रकवा– 3.62 एकड़ जमीन जिसका किस्म पोखर गैरमजरूआ ईजारेदार सर्वे खतियान में दर्ज है। ग्रामीणों द्वारा उक्त जमीन को अतिक्रमण बताया गया है। पंजी– II के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–दीननगर, टोला–हथिया के जमाबंदी सं0–141 में अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम पर 3.62 एकड़ भूमि का जमाबंदी कायम है। उक्त जमाबंदी की एक भी लगान रसीद निर्गत नहीं की गई है। पूर्व में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को वासगीत पर्चा केस नं0–269, 270, 270A, 271, 272, 273, 274 वर्ष 1970–71 के अनुसार 10 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि का विभिन्न जमाबंदी संख्या यथा–187, 188, 189, 190, 191, 192 एवं 193 पर दर्ज है एवं 12डी0 जमीन वासगीत पर्चा एवं गृहस्थल योजना द्वारा दिया गया है, जिसका जमाबंदी संख्या–342, 344, 345, 346 एवं 347 पर दर्ज है, जिस पर सभी का दखल–कब्जा है शेष भूमि वर्त्तमान में उक्त जमाबंदी में 3.39 $\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन बचा हुआ है। स्थानीय निरीक्षण से यह भी पता चला है कि उक्त व्यक्यिों का पोखर के चारों तरफ मकान भी बना हुआ है एवं JCB का उपयोग कर पोखर में मिट्टी भरा दिया गया है। वर्त्तमान में पोखर के रूप में लगभग 35 डी0 भूमि मौजूद है।

विपक्षी का पक्ष :–

(1) विवादित जमीन मौजा–दीननगर, टोला–हथिया, खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629 जमीन पोखर, गैरमजरूआ ईजारेदार यानि मालिक गैरमजरूआ है।

(2) उक्त जमीन का मालिकाना होने के कारण जमाबंदी संख्या–141 अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम पर दर्ज किया गया है। अन्य विपक्षी की जमाबंदी केस नं0–269, 270, 270A, 271, 272, 273, 274 वर्ष 1970–71 के अनुसार 10 $\frac{1}{2}$ डी0 भूमि जिसका जमाबंदी संख्या–187, 188, 189, 190, 191, 192 एवं 193 पर दर्ज है तथा 12डी0 जमीन का जमाबंदी संख्या–342, 344, 345, 346 एवं 347 पर दर्ज है। इस प्रकार उक्त जमीन में 3.62 एकड़ से घटकर 3.39 $\frac{1}{2}$ एकड़ जमीन बचा हुआ होने से संबंधित कर्मचारी रिर्पोट में है, वो एक षड़यंत्र के द्वारा किया गया है।

(3) दोनो सहोदर भाई यानि नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, कुल रकवा–3.62 एकड़ गैरमजरूआ ईजारेदार सर्वे खतियान में दर्ज है।

(4) उक्त जमीन 3.62 एकड़ पर विपक्षी (शौकत खाँ पूर्व मुखिया) का कब्जा चला आ रहा है, जिस पर खेत का पटवन किया जाता है एवं पूर्व से लेकर अब तक उसी में मछली उत्पादन भी करते आ रहे है।

(5) उक्त जमीन गैरमजरूआ ईजारेदार प्राप्त किया गया जबकि प्रतिवेदन रिर्पोट में कहा गया है कि पर्चा देने के कारण घटा दिया गया, जो सत्य नहीं एक षड़यंत्र है।

(6) उक्त जमीन को एक षड़यंत्र के तहत अन्य विपक्षी के मेल में आकर दखल–कब्जा जमाना चाहते है जो गलत है और विपक्षी शौकत खाँ को परेशान करना चाहते है।

(7) अंचल कार्यालय, ई0 अलीगंज के पत्रांक–121, दिनांक–04.04.

2018 तथा पत्रांक–238, दिनांक–09.06.2018 से भी पता चलता है कि शौकत खाँ एवं उनके भतीजे साथ में है, विपक्षी के पूर्व वंशज आज तक दखल–कब्जा में चला आ रहा है इससे साफ पता चलता है कि अन्य विपक्षी के मेल में आकर उक्त जमीन पर कब्जा जमाना चाहते है जो गलत एवं असत्य है।

(8) गैरमजरूआ ईजारेदार की जमीन को बिना विपक्षी के सहमति अन्य विपक्षी के जमाबंदी दर्ज कर देना गलत, असत्य एवं धोखा है।

(9) उक्त जमीन का मालिक जमाबंदी नकदी तौजी नं0–9590, थाना नं0–16 से ही सैयद अली रजा खाँ साहेब, सैयद मुरतजा अली खाँ साहेब वो बीबी सईदा शकीना बेगम साहेबा से प्राप्त हुआ है।

(10) मौजा दीननगर, टोला–हथिया, जमाबंदी सं0–141 में अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ, जिसका खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.62 एकड़ गैरमजरूआ ईजारेदार सर्वे खतियान में दर्ज है, जो रजिस्टर II में जमाबंदी नं0–141 पर दर्ज है।

(11) उक्त जमीन से जो भी घटाया गया तथा अन्य विपक्षी के नाम से चढ़ा है वह नाजायज तरीके से किया गया है यानि 10 $\frac{1}{2}$ डी0 और 12डी0 जमीन को रद्द किया जाए और विपक्षी के वंशज जो शौकत खाँ उर्फ शौकत अली एवं उनके भतीजे साथ में है, के पक्ष में किया जाय, जो सत्य है।

<u>निष्कर्ष</u> :–अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के प्रस्ताव एवं विपक्षी के प्रत्युतर, विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं सरकारी अधिवक्ता द्वारा रखा गया सरकार का पक्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–दीननगर, टोला–हथिया, खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.62 एकड़ किस्म पोखर, गैरमजरूआ ईजारेदार के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संख्या–141 पर अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि में कई महादलित परिवारों को वासगीत/गृहस्थल पर्चा मिलने के कारण वर्त्तमान में जमाबंदी सं0–141 पर रकवा– 3.39 $\frac{1}{2}$ एकड़ की अवशेष रहा गया है। अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के जमाबंदी रद्दीकरण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त भूमि जमाबंदी रैयत को किस प्रकार प्राप्त हुई, इस संबंध में जमाबंदी रैयत के वंशज से कागजात की मांग करने पर कोई स्पष्ट कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस न्यायालय में भी जमाबंदी रैयत के वंशज मो0 शौकत खाँ ने कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे सावित हो कि प्रश्नगत गैरमजरूआ ईजारेदार पोखर की भूमि उनके पूर्वज को कैसे प्राप्त हुई। विपक्षी द्वारा यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज को ईजारेदार के रूप में तौजी नं0–9590, थाना नं0–16 से ही सैयद अली रजा खाँ साहेब, सैयद मुरतजा अली खाँ साहेब वो बीबी सईदा शकीना बेगम साहेबा से प्राप्त हुआ है तथा जमाबंदी सं0–141 में अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम पर दर्ज है तथा उनके पूर्वज के समय से ही उनके दखल में चला आ रहा है। इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि उक्त जमीन मालिकाना होने के कारण ही जमाबंदी संख्या–141 में अली नबाव खाँ वो इब्राहिम खाँ, पे0–खोदादाद खाँ के नाम पर दर्ज किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गैरमजरूआ ईजारेदार पोखर की भूमि पर विपक्षी का दावा भूतपूर्व मध्यवर्ती के वंशज होने के आलोक में जमाबंदी सं0–141 इनके पूर्वजों के नाम पर दर्ज किये जाने से उदभूत है। उल्लेखनीय है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व मध्यवर्ती अथवा उनके वंशज का कोई हक अबंदोवस्ती गैरमजरूआ भूमि पर नहीं रह

गया। जहाँ तक ईजारेदार के रूप में प्रश्नगत भूमि विपक्षी के पूर्वज को प्राप्त होने का बिन्दु है यह स्पष्ट है कि गैरमजरूआ ईजारेदार भूमि पर ईजारेदार का हक केवल मालिकाना था तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सभी मालिकाना हक सरकार में निहित हो गये। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमाबंदी सं0–141 में एक भी लगान रसीद निर्गत नहीं किया गया है, जो उक्त जमाबंदी की छाया–प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है। उक्त से स्पष्ट है कि भूतपूर्व मध्यवर्ती के नाम पर जमाबंदी संख्या–141 पर प्रश्नगत गैरमजरूआ ईजारेदार भूमि खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.39 $\frac{1}{2}$ एकड़ बिना किसी आधार के अनाधिकृत रूप से कायम की गई है।

अतः अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज के प्रस्ताव पत्रांक–238, दिनांक–09.06.2018 को दृष्टिपथ पर रखते हुए मौजा–दीननगर, टोला–हथिया की जमाबंदी सं0–141 खाता सं0–558, खेसरा सं0–4629, रकवा–3.39$\frac{1}{2}$ एकड़ को विलोपित (रद्द) करते हुए अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज को निदेश दिया जाता है कि तदालोक में जमाबंदी में यथोचित सुधार करें। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 1817 /रा0, दिनांक 11.11.19

प्रतिलिपि :–विपक्षी/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई/अंचल अधिकारी, ई0 अलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला के बवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।